राजेश कुमार और एक अन्य

बनाम

द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (भारत)

25 जुलाई, 1997

[एम. एम. पंची और के. वेंकटस्वामी, न्यायाधिपतिगण]

शिक्षाः

इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) - परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने और कदाचार के कारण कुछ अभ्यर्थियों के परीक्षा परिणाम रोके गए - परीक्षार्थियों के स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किए गए - उक्त परीक्षार्थियों के परिणाम रद्द किए गए - उक्त परीक्षार्थियों में से दो ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया। मामला हाई कोर्ट के सामने आया तो कोर्ट ने संस्थान को मामले पर दोबारा निर्णय लेने का निर्देश दिया - इस बार संस्थान ने परीक्षार्थियों की क्षमता परखने के लिए नई तकनीक अपनाई और मामले का फैसला उनके खिलाफ कर दिया - अभिनिर्धारित, अपीलकर्ताओं की परीक्षाओ के परिणाम को रद्द करने के संस्थान के आदेश को और और उन्हें दो आगामी परीक्षाओं के लिए अयोग्य ठहराना अधिकार क्षेत्र में आता है, रद्द किया जाता है - संस्थान को तत्काल परीक्षार्थियों का परिणाम घोषित करना चाहिए।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 5057/1997

पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के सी.डब्ल्यू.पी. क्रमांक 9699/1996 में निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.7.96 से।

एम.के. दुआ, अपीलकर्ताओ की ओर से।

डॉ. शंकर घोष, पी. एडी, घनश्याम जोशी और ए.के. दत्ता, प्रतिवादी के लिये।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश दिया गया था:

अनुमति प्रदान की गई।

दो अपीलकर्ता, राजेश कुमार और हरबीर सिंह 1 जून, 1990 को प्रतिवादी-इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा आयोजित एआईएमई ग्रुप 'बी' परीक्षा में उपस्थित हुए। उनका केंद्र टैगोर स्कूल, एच करनाल में था। परीक्षा में भाग लेने वाले पर्यवेक्षी कर्मचारियों द्वारा नकल या कदाचार का कोई भी मामला कभी नहीं देखा गया या रिपोर्ट नहीं किया गया। अक्टूबर 1990 में, 11 अन्य परीक्षार्थियों के साथ दोनों अपीलकर्ताओं को प्रतिवादी-संस्थान से समान नोटिस प्राप्त हुए और उनमें उल्लिखित नकल और कदाचार के आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगा गया। नोटिस का विषय यह था कि परीक्षार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने वाले परीक्षक ने रिपोर्ट दी थी कि 13 परीक्षार्थियों ने नकल का सहारा लिया था क्योंकि

परीक्षा में कुछ प्रश्नों के उनके उत्तर बिल्कुल एक जैसे थे और उस आधार पर यह सोचा गया कि परीक्षार्थियों ने अनुचित साधन अपनाए थे। दोनों अपीलकर्ताओं ने आरोपों पर अपने जवाब प्रस्तुत करते हुए कहा कि उत्तर पुस्तिकाओं में समानता बाजार में उपलब्ध समान पाठ्य पुस्तकों से तैयारी के परिणामस्वरूप हो सकती है और नकल का सवाल ही नहीं उठता जैसा कि परीक्षार्थियों की योजना से स्पष्ट होगा। इसके अलावा, यह कहा गया कि उनमें से कोई भी दूसरे के करीब नहीं था और सभी अलग-अलग कमरों में थे। विचाराधीन पेपर को 'मात्रा, सर्वेक्षण और मूल्यांकन' खंड बी के रूप में जाना जाता था। संस्थान द्वारा परीक्षार्थियों की याचिका को अस्वीकार कर दिया गया था और प्रत्येक परीक्षा से अवगत कराया गया था कि वर्ष 1990 की परीक्षा के लिए उनके परिणाम रद्द कर दिए गए थे और उन्हें अनुचित साधन और कदाचार अपनाने के लिए संस्थान की तुरंत बाद की दो परीक्षाओं में बैठने से आगे वंचित कर दिया गया था यानि कि वर्ष 1991 की गर्मियों तक।

व्यथित होकर, कुलदीप राज के साथ मिलकर दो अपीलकर्ताओं ने पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका संख्या 4259 /1991 के माध्यम से संस्थान-प्रतिवादी के आदेश को चुनौती दी, जिसे जब उस न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष रखा गया, 19 नवंबर 1991 को सिविल मुकदमा दायर करने की अनुमति के साथ इसे वापस लेने की

अनुमति दी गई थी। इसके बाद, उन तीन रिट याचिकाकर्ताओं ने अपमानजनक संचार को रद्द करने और संस्थान को उनके परिणाम घोषित करने के लिए अनिवार्य आदेश देने की मांग करते हुए सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। संस्थान ने मुकदमा लड़ा, आवश्यक मुद्दे तय किए गए। पक्षों की दलीलों और सबूतों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने यह कहते हुए मुकदमे का फैसला सुनाया कि संस्थान का गैर-बोलने वाला आदेश, बिना किसी कारण के, और यह निष्कर्ष कि वादी अनुचित साधनों के दोषी थे, बिना किसी आधार के था। वादी का परिणाम घोषित करने का निर्देश संस्थान को दिया गया। संस्थान की तरफ से अपील में प्रथम अपीलीय अदालत ने मुकदमे को खारिज करने वाले विचारण न्यायालय के फैसले और डिक्री को पलट दिया, जिसमें कहा गया था कि जब वादी अपनी अयोग्यता समाप्त होने की अवधि के बाद बाद की परीक्षाओं में उपस्थित हुए थे, तो दावे को डिक्री करने में कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

उच्च न्यायालय के समक्ष दूसरी अपील में, वादी सफल हुए क्योंकि वे उस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश को उनके मामले में हुए पूर्वाग्रह के बारे में समझाने में सक्षम थे, जब वादी से संबंधित उत्तर पुस्तिकाएं, जैसा कि विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष रखी गई थीं, वादीगण को पूछताछ में नहीं रखा गया और दूसरे उनके बैठने का

तरीका/योजना ऐसी थी कि नकल का सवाल ही नहीं उठता। अंत में, यह प्रस्तुत किया गया कि अयोग्यता की अवधि के बाद परीक्षाओं में उपस्थित होने वाले वादी के संबंध में निर्णय लेने की प्रक्रिया में एक बाहरी कारक शामिल था, बिना किसी आधार के क्योंकि यह दावा किया गया था कि कोई भी वादी किसी भी बाद की परीक्षा में नहीं बैठा था- इस स्थिति में, उच्च न्यायालय ने अपील को स्वीकार किया, प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को रद्द कर दिया, जिसमें संस्थान को वादी पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने के बाद मामले पर फिर से निर्णय लेने और उनकी याचिका पर विचार करनेका का निर्देश दिया गया था, जो कि उनके खिलाफ थी। संस्थान को कानून के अनुसार एक विस्तृत आदेश पारित करने का भी निर्देश दिया गया।

जब इस मामले को संस्थान द्वारा विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेशों के अनुपालन में लिया गया, तो दोनों अपीलकर्ताओं और उनके साथी रिट याचिकाकर्ता को नोटिस भेजे गए। ऐसा प्रतीत होता है कि बाद वाले ने अवसर का लाभ नहीं उठाया लेकिन दोनों अपीलकर्ताओं ने ऐसा किया। वे कलकत्ता में उपस्थित हुए और उठाए गए संदेहों के बारे में संस्थान को संतुष्ट करने का प्रयास किया। संस्थान ने आश्चर्यजनक रूप से उस सभी सामग्री को अलग रख कर एक उलटफेर कर दिया, जिसका उपयोग अपीलकर्ताओं के खिलाफ किए जाने की उम्मीद थी; ऐसी सामग्री

जो परीक्षा के लिए प्रासंगिक थी जैसे उत्तर पुस्तिकाएं और बैठने की योजना आदि। इसके बजाय, संस्थान ने अपीलकर्ता की क्षमता का परीक्षण करने के लिए एक नई तकनीक का विकल्प चुना, जो कि दोनों अपीलकर्ताओं के संबंध में पारित समान आदेशों से स्पष्ट है, नीचे इस प्रकार दिये गये है:

> "उम्मीदवार ने बताया कि उन्होंने तैयारी के लिए प्रो. बी.एन.दत्ता की पुस्तक "एस्टीमेटिंग एंड कॉस्टिंग" का अध्ययन किया। यह पुस्तक मुख्यालय स्थित संस्थान के पुस्तकालय और परीक्षा अनुशासन समिति के सदस्यों और सचिव से प्राप्त की गई थी। एवं महानिदेशक ने उक्त पुस्तक के संदर्भ में अभ्यर्थी द्वारा अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखे गए उत्तरों की जांच की और पाया कि अभ्यर्थी द्वारा लिखे गए उत्तर का काफी हिस्सा बिल्कुल किताब में छपे लेख के समान था। परीक्षा के दौरान विभिन्न उत्तरों के लिए उक्त पुस्तक के पाठ के सटीक पुनरुत्पादन के अपने दावे को सही ठहराने के लिए उम्मीदवार को सचिव और महानिदेशक की उपस्थिति में पुस्तक से किसी भी छोटे पैराग्राफ को पढ़ने और उसे समान पुनरुत्पादन के लिए रटने के लिए समय लेने के लिए कहा

गया था। उम्मीदवार अनुरोध का अनुपालन करने में विफल रहा।"

संस्थान ने आगे इस प्रकार देखा:

ईडीसी और एसडीजी के सदस्यों ने यह भी देखा कि मामलों की जांच के बाद, एक ही विषय में एक ही केंद्र के इस उम्मीदवार सहित 13 उम्मीदवारों द्वारा समान कदाचार अपनाने की रिपोर्ट परीक्षक और ईडीसी से प्राप्त हुई थी, मामले की जांच करने के बाद, व्यक्तिगत रूप से उन सभी को 1991 की ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं में शामिल होने से रोकते हुये समान सज़ा दी गई। इस उम्मीदवार और दो अन्य को छोड़कर सभी ने संस्थान के निर्णय को स्वीकार कर लिया था"।

उपरोक्त संचार को पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका संख्या 9699/1996 के माध्यम से दो अपीलकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई थी। इस बार, उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा नियमित दूसरी अपील में दिए गए फैसले में शासनादेश और निर्धारित जांच के मापदंडों का उल्लेख किए बिना, 10.7.96 को रिट याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि संस्थान द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को उस न्यायालय द्वारा मनमाना या अनुचित वारंटिंग

हस्तक्षेप नहीं कहा जा सकता है। इस आदेश को इस अपील में चुनौती दी गई है।

उपरोक्त विस्तृत तथ्यों के बायोडाटा से संस्थान के सदस्यों के दिमाग में स्पष्ट जानकारी मिलती है जो निर्णय या अपीलकर्ताओं के भाग्य को निर्धारित करते हैं। नियमित द्वितीय अपील में उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा उपलब्ध सामग्री और बैठने के पैटर्न से संबंधित संदेह और यह भी कि अपीलकर्ता अयोग्यता की अवधि समाप्त होने के बाद बाद की परीक्षाओं में कभी नहीं बैठे थे, को आसानी से संस्था द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया था। इन परिस्थितियों में, यह मानना गलत नहीं होगा कि यदि संस्थान के सदस्यों ने उस सामग्री को पकड़ लिया होता, तो परिणाम अपीलकर्ताओं के पक्ष में जाता। सुविधाजनक रूप से, क्षेत्र को जीतने के लिए अन्य कारकों को प्रतिस्थापित किया गया, क्योंकि अपीलकर्ताओं को मिनटों में स्मृति बनाए रखने की उनकी क्षमता का आकलन करने के लिए एक रटने वाले परीक्षण में रखा गया था। सभी साक्षर व्यक्ति एक नियिचत समय पर छात्र रहे है लेकिन सभी रटने वाले नहीं रहे है। जो लोग रटते हैं उन्हें एक बार पढ़ने से अपना लक्ष्य हासिल नहीं होता। वांछित परिणाम प्राप्त होने तक यह कई दिनों तक लगातार किया जाने वाला प्रयास है। रटने वालो का आंतरिक रूप से एक दूसरे से कोई सांठगांठ नहीं है। रटने के सामान्य स्रोत के रूप में किसी पुस्तक का

पाठ कोई संबंध स्थापित नहीं करता है। यह परीक्षा में अनुचित साधन अपनाने के लिए परीक्षार्थियों के बीच किसी भी साजिश का सबूत नहीं हो सकता है, जब तक कि यह दिखाने के लिए कोई सामग्री न हो कि उत्तर पुस्तिकाओं की नकल की गई थी, यह किसी एक अभ्यर्थी की उत्तर पुस्तिका से या सीधे उस पुस्तक से निकला है जिसके परिणामस्वरूप दूसरों ने नकल की। संस्थान के समग्र विचार से यह प्रतिबिंबित हुआ कि इसके सदस्यों ने सोचा कि यदि दो अपीलकर्ताओं की याचिका स्वीकार कर ली गई तो उन्हें शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा और इसलिए, उन्होंने अपीलकर्ताओं को राहत देने से इनकार करने के बारे में सोचा। संस्थान के विचार-विमर्श से ऐसे नतीजे आने की इजाजत नहीं दी जा सकती। निष्पक्ष खेल के हित में यह न्यायालय सुधारात्मक खुराक देने के लिए कदम उठाएगा।

उपरोक्त कारणों से, हम उच्च न्यायालय के आक्षेपित आदेश को रद्द कर देते हैं और दिनांक 14.12.1990 (अनुलग्नक पी-6) के आक्षेपित संचार को रद्द करके दोनों अपीलकर्ताओं की अपील को स्वीकार करते हैं, जिसमें न्याय के हित में मामले को बंद करने का आदेश दिया गया था। अपीलकर्ताओं की परीक्षा के परिणाम को रद्द करने और उन्हें दो सफल परीक्षाओं के लिए अयोग्य घोषित करने के संस्थान के आदेश अधिकार क्षेत्र

से बाहर थे और इसलिए, प्रतिवादी-संस्थान को अपीलकर्ताओं के परिणाम तुरंत घोषित करने का आदेश देते हुए, इसे रद्द किया जाता है।

इस अंतिम परिणाम के साथ, लागत सहित अपील स्वीकार की जाएगी।

आर.पी.

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल सुवास की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता नृपेन्द्र सिनसिनवार द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।